भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2647
दिनांक 05 अगस्त, 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बिजली आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में शिकायतें

†2647. श्रीमती जून मालियाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली की जय हिंद कॉलोनी और वसंत कुंज में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें किन कानूनी प्रावधानों या अधिसूचनाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है;

(ग) उस क्षेत्र में बेदखली अभियान से प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बेदखल किए गए व्यक्तियों की नागरिकता या कानूनी निवास स्थिति का सत्यापन किया है; और

(ङ) क्या प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है या कोई पुनर्वास योजना आरम्भ की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जय हिन्द कॉलोनी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में न तो कोई बेदखली-अभियान चलाया है और न ही उस कॉलोनी में बिजली और पानी की आपूर्ति काटे जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, सिवाय दिनांक 10/07/2025 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के। जय हिन्द कॉलोनी, वसंत कुंज, एक जेजे क्लस्टर है और इस क्लस्टर में पाइप द्वारा पानी का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है। इस क्लस्टर के निवासियों को टैंकरों के माध्यम से पानी की नियमित आपूर्ति की जाती है, जो अभी भी जारी है। यह भी सूचित किया गया है कि माननीय सिविल कोर्ट के दिनांक 14/05/2024 के आदेश (सिविल सूट संख्या 56914/2016) के अनुपालन में दिनांक 08/07/2025 को 2 (दो) बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।

*****